International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 6; November 2018; Page No. 41-43

बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सूचना शासन, प्रशासन और स्वयमसेवी संस्थाओं को न देने के कारण : एक अध्ययन

ओमपाल सिंह[1], डॉ० हेमेन्द्र सिंह[2]
[1] समाजशास्त्र विभाग, के॰ जी॰ के॰ महाविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।
[2] म० ज्यो० फु० रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत ।

सारांश
समाज में अनेक प्रकार घटनाएँ बच्चों के प्रति घटित होती रहती हैं । इन घटनाओं में कुछ घटनाएँ सामाजिक रूप से स्वीकार्य होती हैं और कुछ घटनाएँ सामाजिक रूप से अस्वीकार्य होती हैं । इन अस्वीकार्य घटनाओं में बच्चों के प्रति भ्रष्टाचार और उन के साथ होने वाले कुकृत्य की घटनाएँ हैं। बच्चों के प्रति भ्रष्टाचार और उन के साथ होने वाले कुकृत्य समाज के परिमार्जन के दृष्टिकोण से अत्यधिक निन्दनीय हैं; क्यों कि, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं और वे ही देश की बौद्धिक–सम्पदा में परिवर्तित होते हैं । देश की बौद्धिक–सम्पदा ही देश के विकास के पथ को प्रशस्त करती है । परन्तु, परिवार और विद्यालय बच्चों के प्रति होने वाले भ्रष्टाचार और कुकृत्य की घटनाओं की सूचनाओं को अपनी 'प्रतिष्ठा' के कारण शासन, प्रशासन और स्वयमसेवी संस्थाओं तक न पहुँचने का यथेष्ट प्रयास करते हैं; फलतः, उन्हें भ्रष्टाचार और कुकृत्य की सूचनाएँ प्राप्त नहीं होती हैं।

मूल शब्द : बाल अधिकार, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, प्रतिष्ठा।

1. प्रस्तावना
प्रायः पाया जाता है कि विद्यालय, पड़ौस अथवा परिवारों में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन होता रहता है; जब कि, साम्वैधानिक दृष्टिकोण से बच्चों के प्रति होने वाले भ्रष्टाचार और अधिकार–उल्लंघन आपराधिक श्रेणी में वर्गीकृत हैं। ये अपराध प्रायः स्थानीय होते हैं और इन पर समाज के सदस्यों का ध्यान कम ही जाता है। अधिकारों के उल्लंघन से बच्चों में शिक्षा और शैक्षिक अभिरुचि में कमी होने की सम्भावना उत्पन्न होती है। जब ऐसी घटनाएँ निरन्तर होने लगती हैं और उन पर समाज की स्थापित संस्कृति और मूल्यों के अनुकूल समाज के सदस्यों, शासन और प्रशासन द्वारा कोई टीका–टिप्पणी अथवा कठोर कार्यवाही नहीं की जाती है, तब समाज में नकारात्मक उप–संस्कृति और उप–मूल्यों के स्थायी होने की सम्भावना उत्पन्न होती है। अतः, देशहित में बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को ज्ञात कर के उन का निराकरण करना अत्यावश्यक है।

2. शोध की आवश्यकता और महत्व
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित अनेक बाल अधिकार हैं और भारतीय सम्विधान में इन अधिकारों को मान्यता प्राप्त है; परन्तु, परिवारों और विद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में बच्चों के कुछ ही अधिकार आते हैं; जिन में पौषण, उत्तम विकास, उन्नति, समुचित जीवनस्तर, शोषण से सुरक्षा का अधिकार, अपमान और दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार, अमानवीय अथवा निम्नकोटि के व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, उपेक्षा से मुक्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और विकास हेतु सहायता प्राप्ति का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्रमुख हैं।
अतः, बच्चों के उक्त अधिकारों से सम्बन्धित उत्पन्न समस्याओं को ज्ञात करके उन का निराकरण करना आवश्यक है। इस से भारतीय बौद्धिक सम्पदा में वृद्धि सम्भव होगी।

3. शोध समस्या
भारतीय परिप्रेक्ष्य में बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिन में बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, पंजीयन और बालक–बालिका के मध्य भेदभाव प्रमुख हैं, जिन के कारण भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग समान रूप से विकसित नहीं हो रहा है। अनेक शासकीय योजनाओं के पश्चात भी बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याएँ पूर्ववत ही हैं और भारतीय बौद्धिक सम्पदा में कमी हो रही है।

4. शोध उद्देश्य
प्रस्तुत अनुसन्धान का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि परिवारों और विद्यालयों में बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सूचनाएँ शासन, प्रशासन और स्वयमसेवी सन्स्थाओं को किस अथवा किन कारणों से नहीं दी जाती हैं।

5. शोध परिकल्पना
प्रस्तुत अनुसंधान हेतु निम्नलिखित परिकल्पना का निर्माण किया गया है –
'परिवारों और विद्यालयों में हुए बाल अधिकारों के उल्लंघन की सूचना शासन, प्रशासन और स्वयमसेवी सन्स्थाओं को 'नहीं' के बराबर दी जाती है।'

6. शोध प्रविधि
प्रस्तुत अनुसंधान वर्णनात्मक है तथा अवलोकन और साक्षात्कार विधि पर आधारित है। इस अनुसंधान हेतु लाइनपार मुरादाबाद शास्त्रीनगर, लक्ष्मणपुरी और फकीरपुरा के 500 के समग्र में से 200 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार किया गया है।
यह अनुसंधान वृहद् अनुसंधान 'शिक्षा को बाधित करने वाले कारकों का समाजशास्त्रीय अध्ययन : मुरादाबाद महानगर के विशेष सन्दर्भ में' का एक भाग है।

7. साहित्य समीक्षा

शासनान्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित जिन विधियों (क़ानूनों) को भारत में स्वीकार किया गया है; वे 18 वर्ष की आयु तक के विवाहित् अथवा अविवाहित बच्चों पर समान् रुप् से प्रभावी हैं (यहाँ प्रश्न् यह नहीं है कि इन विवाहित लड़कों और लड़कियों की सन्तान् है अथवा नहीं है)। परन्तु, फिर भी अनेक कारणों से बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

"महिला पुलिस वालिण्टियर : एक पुस्तिका" में लैंगिक दुर्व्यवहार के विरुद्ध साम्वैधानिक धाराओं का उल्लेख, स्त्रीलिंगी व्यक्तियों के प्रति होने वाले विभिन्न अपराधों की ओर संकेत करता है । अधिकांशतः लैंगिक दुर्व्यवहार बालिकाओं के प्रति अधिक होता है।

जून 22, 2017, दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण के पृष्ठ संख्या– 09 पर प्रकाशित शीर्षक *"मदरसा छात्रों के खातों में पहुँचेगा वजीफा"* के समाचार के अनुसार प्रशासनिक कर्तव्य विमूढ़ता और भ्रष्टाचार के कारण पात्र 'मदरसा' विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई।

जुलाई 23, 2018, अमर उजाला, मुरादाबाद सिटी संस्करण के पृष्ठ संख्या – 10 पर प्रकाशित शीर्षक *"मासूमों पर आफत : कहीं दुष्कर्म, कहीं सजा"* के समाचार के अनुसार पिता ने अपने 03 बच्चों को रस्सी से बाँध कर लटका दिया।

जुलाई 04, 2017, दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण के पृष्ठ संख्या – 07 पर प्रकाशित शीर्षक *"अब आधार कार्ड रोकेगा मिड–डे मील का फर्जीवाड़ा"* के समाचार के अनुसार विद्यालय के पंजीकृत विद्यार्थियों के मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति और उपस्थिति को आधार कार्ड से जोड़ने से विद्यालयों में इन से सम्बन्धित होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा।

8. परिवारों और विद्यालयों में प्रायः घटित होने वाली घटनाओं और भ्रष्टाचार का विश्लेषण और व्याख्या

(अ) परिवारों और विद्यालयों के **अ**धिकार क्षेत्रों में प्रभावी बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है –

8.1 परिवारों और विद्यालयों में उभयनिष्ठ घटनाएँ

यौन उत्पीड़न	शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न
146	192
73%	96%

8.1.1 यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित घटनाएँ

200 उत्तरदाताओं में से 146 उत्तरदाताओं के मतानुसार अनेक परिवारों और विद्यालयों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की घटनाएँ होती हैं। इन में बालिकाओं का यौन उत्पीड़न अपेक्षाकृत अधिक होता है।

8.1.2 शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से सम्बन्धित घटनाएँ

200 उत्तरदाताओं में से 192 उत्तरदाताओं के मतानुसार अनेक परिवारों और विद्यालयों में बच्चों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की घटनाएँ होती हैं। इन में बालकों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न अपेक्षाकृत अधिक होता है।

- बच्चों का यौन उत्पीड़न 'मानसिक विकार' के अन्तर्गत आता है तथा परिवारों और विद्यालयों में अन्य व्यक्तियों से छिपाकर प्रायः एकल व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
- बच्चों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न 'सामाजिक विकार' के अन्तर्गत आता है तथा परिवारों और विद्यालयों में प्रायः द्वेष, घृणा, क्रोधादि भावों वशीभूत हो कर एकल व्यक्ति द्वारा अथवा सामूहिक रूप से किया जाता है।

8.2 विद्यालयों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार

छात्रवृत्ति	मध्यान्ह भोजन	पंजीयन
198	198	121
99%	99%	60.5%

8.2.1 छात्रवृत्ति से सम्बन्धित भ्रष्टाचार

200 उत्तरदाताओं में से 198 उत्तरदाताओं के मतानुसार स्वयं की स्वार्थसिद्धि और लोलुपता के कारण विद्यालयों की स्थानीय समितियाँ छात्रवृत्ति से सम्बन्धित भ्रष्ट आचरण करती हैं।

8.2.2 मध्यान्ह भोजन से सम्बन्धित भ्रष्टाचार

200 उत्तरदाताओं में से 198 उत्तरदाताओं के मतानुसार स्वयं की स्वार्थसिद्धि और लोलुपता के कारण केवल विद्यालयों की स्थानीय समितियाँ मध्यान्ह भोजन से सम्बन्धित भ्रष्ट आचरण करती हैं।

8.2.3 बच्चों के पंजीयन से सम्बन्धित भ्रष्टाचार

200 उत्तरदाताओं में से 121 उत्तरदाताओं के मतानुसार सरकारी और प्रतिष्ठित विद्यालयों में बच्चों के पंजीयन से सम्बन्धित भ्रष्टाचार किया जाता है । इस में विद्यालयों की स्थानीय समितियाँ अपने और अपने परिचितों के बच्चों के पंजीयन को वरीयता देती हैं। इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण से अधिकांश योग्य बच्चे अच्छी शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

8.3 परिवारों में लिंग आधारित भेदभाव से सम्बन्धित घटनाएँ

बालक से भेदभाव	बालिका से भेदभाव
141	197
70.5%	98.5%

परिवारों में धनाभावादि कारणों से लिंग आधारित भेदभाव सम्बन्धित घटनाएँ होती हैं। भारतीय सम्विधान के अनुसार परिवार के प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति उन का उत्तम विकास करें, उन की उन्नति में सहायक हों और उन के समुचित जीवनस्तर हेतु सम्भव प्रयास करें। परन्तु, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस विषय में बालक को वरीयता दी जाती है; क्यों कि, मान्यता है कि 'बालक ही उन के बुढ़ापे की लाठी है और बालिका पराया धन है'।

200 उत्तरदाताओं में से 141 उत्तरदाताओं के मतानुसार – पूर्व पति अथवा पूर्व पत्नी से उत्पन्न बालक के साथ वर्तमान पति अथवा पत्नी और उन के बच्चों द्वारा भेदभाव किया जाता है।

200 उत्तरदाताओं में से 197 उत्तरदाताओं के मतानुसार – धनाभाव के कारण बालिका के साथ भेदभाव अधिक होता है। यह भेदभाव उस स्थिति में और अधिक हो जाता है, जब बालिका पूर्व पति अथवा पूर्व पत्नी से उत्पन्न हो।

9. बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के प्रति शासन, प्रशासन और स्वयमसेवी संस्थाओं को न देने के कारण

परिवार और विद्यालय की प्रतिष्ठा	व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिष्ठा
200	200
100%	100%

1. **परिवार और विद्यालय की प्रतिष्ठाः** 200 उत्तरदाताओं में से शतप्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार यौन, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की घटनाएँ परिवारों और विद्यालयों की

उभयनिष्ठ समस्याएँ हैं।

- बच्चों का यौन उत्पीड़न 'मानसिक विकृति' से सम्बन्धित विषय है और परिवार और विद्यालय में प्रायः एकल व्यक्ति द्वारा कृत कार्य होता है ।
- शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न अलगाव, द्वेष, घृणा और क्रोध से सम्बन्धित और सामाजिक विषय है तथा परिवार और विद्यालय में प्रायः एकल व्यक्ति द्वारा कृत कार्य होता है ।
- बालक अथवा बालिका के साथ यौन अपराध, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की घटना हो जाने पर परिवार और विद्यालय के अन्य व्यक्ति 'दोषी व्यक्ति' के दोष को परिवार और विद्यालय की प्रतिष्ठा को बचाने हेतु छिपाने का सम्भव प्रयास करते हैं।
- लिंग आधारित भेदभाव प्रायः पारीवारिक विषय है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति व्यक्त करने पर सम्बन्धित परिवार के सदस्य अपने पारीवारिक विषय में 'अनुचित हस्तक्षेप' की संज्ञा देते हैं और उसे परिवार का अपमान समझते हैं।
- बच्चों के यौन उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का विरोध करने और दोषी व्यक्ति को दण्डित कराने की भावना का प्रभाव बच्चे के प्रति लगाव और प्रेम की भावना की मात्रा पर निर्भर होता है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि दोषी व्यक्ति को दण्डित कराने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की 'सामाजिक स्थिति' महत्वपूर्ण होती है; क्यों कि, दयनीय अथवा निम्न सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति प्रायः दोषी व्यक्ति को दण्डित कराने में अक्षम रहते हैं।

2. व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिष्ठाः 200 उत्तरदाताओं में से शतप्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार –

- विद्यालय के किसी एकल व्यक्ति द्वारा छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन और बच्चों के पंजीयन से सम्बन्धित भ्रष्ट आचरण किये जाने पर तत्कालीन रूप से विद्यालय की प्रतिष्ठा को बचाने के उद्देश्य से विद्यालय की समिति के अन्य सदस्य उस के भ्रष्ट कृत्य को ढकने का प्रयास करते हैं। परन्तु, विषय के शान्त होते ही भविष्य में सम्भावित ऐसी घटनाओं को रोकने, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने और स्वयं को सही दर्शाने के लिये विद्यालय की समिति के अन्य सदस्यों द्वारा दोषी व्यक्ति का बहिष्कार किया जाता है तथा उसे पदच्युत कराने का प्रयास किया जाता है।
- विद्यालयों की समितियों के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से किये गए छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन और बच्चों के पंजीयन से सम्बन्धित भ्रष्ट आचरण को विद्यालय और स्वयं की प्रतिष्ठा बचाने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से ही ढकने का प्रयास किया जाता है। ऐसी घटनाओं की सूचनाओं को समाज में प्रसारित न होने देने के उद्देश्य से विद्यालयों की समितियाँ प्रत्येक स्तर पर दबाने का प्रयास करती हैं।

10. निष्कर्षः प्रस्तुत अनुसन्धान के आधार पर स्पष्ट है कि –

1. विद्यालयों की समितियों के स्तर पर छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन और बच्चों के पंजीयन से सम्बन्धित भ्रष्ट आचरण होता है।
2. परिवारों और विद्यालयों में बच्चों का यौन, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होता है।
3. परिवार और विद्यालय अपने द्वारा हुए भ्रष्टाचार और उत्पीड़न की सूचनाओं को परिवार और विद्यालय की प्रतिष्ठा को बचाने के उद्देश्य से समाज में प्रचारित न होने देने के लिये प्रत्येक स्तर पर दबाने का प्रयास करता है।
4. परिवार और विद्यालय अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के उद्देश्य से घटना को दबा देता है और इस प्रकार परिवारों और विद्यालयों में हुए बाल अधिकारों के उल्लंघन की सूचना शासन, प्रशासन और स्वयमसेवी सन्स्थाओं को प्राप्त नहीं हो पाती है।
5. बच्चों के यौन उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का विरोध करने और दोषी व्यक्ति को दण्डित कराने की भावना का प्रभाव बच्चे के प्रति लगाव और प्रेम की भावना की मात्रा पर निर्भर होता है।
6. दोषी व्यक्ति को दण्डित कराने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की 'सामाजिक स्थिति' महत्वपूर्ण होती है।

11. सन्दर्भ सूची

1. "महिला पुलिस वालिण्टियरः एक पुस्तिका", महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय और ग्रह मन्त्रालय, भारत सरकार, २०१६
2. "अभी नहीं बटीं ढाई लाख किताबें", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, अगस्त ०४, २०१७, पृष्ठ संख्या – ०८
3. "बच्चे को पीटने पर स्कूल को नोटिस", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, अगस्त ०३, २०१७, पृष्ठ संख्या – ०६
4. "अब आधार कार्ड रोकेगा मिड–डे मील का फर्जीवाड़ा", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, जुलाई ०४, २०१७, पृष्ठ संख्या – ०७
5. "मदरसा छात्रों के खातों में पहुँचेगा वजीफा", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, जून २२, २०१७, पृष्ठ संख्या – ०६